न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 125/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00535

| अपीलांट :– | बनाम | रेस्पोडेन्टगण :– |
| --- | --- | --- |
| जानाराम पुत्र श्री जीवाराम, जाति घांची, निवासी ग्राम बांकली, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान) | | 1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)<br>2. देवाराम पुत्र भबूताजी, जाति भील, निवासी ग्राम बांकली, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/4/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सुमेरपुर दिनाँक 13.07.2017 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 07A/2017 बअनवान सरकार बनाम जानाराम में पारित किया गया उसे निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की है वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश किया गया है अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं मातहत अदालत का रेकर्ड तलब किया गया एवं जैर अपील पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 981 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 0.04 हैक्टेयर अर्थात 300 वर्गगज क्षेत्रफल का बाड़ा अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.01.2013 जो क्रमांक प: 6(7)राज–4/77/2 के द्वारा अपीलार्थी के हक में नियमन कर नियमानुसार राशि वसूल कर सनद (पट्टा) दिनांक 17.04.2013 को जारी की गई एवं राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी खातेदार दर्ज हुआ। जिस पर अपीलार्थी का कब्जा था उसके चारो तरफ धोरा पाली व बाड़ की हुई है एवं मौके पर एक कमरे का भी निर्माण किया हुआ है जब अपीलार्थी कांटो की बाड़ को हटा कर पक्की दिवार बनाने हेतु निर्माण स्वीकृती हेतु दिनांक 16.09.2016 को आवेदन ग्राम पंचायत बांकली में आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने तहसीलदार सुमेरपुर को मौका रिपोर्ट बाबत लिखा तथा तहसीलदार सुमेरपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने ही द्वारा जारी किए गए सनद पट्टे की भूमी को अपीलार्थी के खाते से अपहृत करने का दिनांक 17.03.2017 को आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को सुनवाई का समूचित अवसर भी नहीं दिया गया तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा बिना जांच अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों के अवलोकन किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है जैर अपील आराजी पर अपीलार्थी का 2060 से मकान व लगातार कब्जा है अपीलार्थी का कब्जा 2060 से लगातार था लेकिन अतिक्रमण रिपोर्ट 2062 में बनाई गई। तथा सरकार के आदेशानुसार नियमन किया गया है राजस्थान सरकार के आदेशानुसार समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 20 के तहत 0.04 हैक्टेयर वाड़े की भूमी का नियमन किया गया है। जिसकी प्रीमियम [illegible] राशि 350/– रूपये तथा सनद फीस 5/– रूपये दिनांक 17.04.2013 को [illegible]कोष में जमा करने पर सनद संख्या 123 तहसीलदार [illegible] अपीलाण्ट के हक में स्वीकृत खातेदारी को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद [illegible] करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा स्वयं के जारी आदेश को ही विधीविरुद्ध तरीके से खारिज करते हुए अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिए जो कानूनन विधि सम्मत नहीं है।

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सुमेरपुर के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 981 की भूमी पर देवाराम पुत्र भबूता भील निवासी बांकली का कब्जा है व निवास है जबकि देवाराम का खसरा नंबर 982 में कब्जा है। जो खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है जो खसरा परिवर्तनशील संवत 2051 से स्पष्ट है। लेकिन देवाराम का कब्जा 981 व 982 की सीमा पर होने से तथा देवाराम अनुसुचित जाति का व्यक्ति होने से अपीलार्थी बाड़े में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह झूठे मुकदमें में फंसाने की भी धमकियां दे रहा है। तहसीलदार द्वारा उक्त बिना सीमांकन किए ही कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत नहीं है। सरपंच, पटवारी, सभी ने मिल कर अप्रार्थी के विरूद्ध साजिशन यह कार्य करते हुए गलत रिपोर्ट प्रकट की और उसी को आधार मानकर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के पास आबादी क्षेत्र में दो पट्टे व आवासीय प्लॉट मानकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जबकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.01.2013 की शर्त संख्या 2 के अनुसार अपीलार्थी के पास 4 है, भूमी असिंचित धारण करने पर भी वह पात्र माना जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर मातहत अदालत ने भारी भूल की है।। अपीलार्थी के हक में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.01.2013 के पद संख्या 1 में वर्णित शर्त के अन्तर्गत 500 वर्गगज से कम होने के कारण नहीं आती है ऐसी स्थिति में नियमन सही किया गया है तथा विधीवत नियमन की गई भूमी के नियमन को तहसीलदार जी निरस्त करने में सक्षम नहीं थे। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थित में एक तरफा किया गया है जिसकी सूचना अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई तथा अपीलार्थी का पुत्र आन्ध्रप्रदेश से बांकली आया तब प्रकरण के सम्बन्ध में पता चला एवं यह अपील बाद सम्पर्क कर अधिवक्ता से और पेश की गई जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 देवाराम पुत्र भबूताराम जाति भील निवासी बांकली के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी खसरा नंबर 981 व 982 की सीमा पर रेस्पोडेंट संख्या 2 का कब्जा था तथा पक्का मकान बना हुआ था पहले खसरा परिवर्तनशील में खसरा नंबर 981 व 982 दर्ज है नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2002–2003 संवत 2059, 2060, से स्पष्ट है बाद में पटवार हल्का द्वारा नाप चौक व सीमांकन कर उक्त मकान खसरा परिवर्तनशील संवत 2061 में खसरा नंबर 981 में होना स्पष्ट किया है उसके बाद संवत 2062 में भी देवाराम पुत्र भबूता भील का ही नाम खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है जो खसरा नंबर 981 में है उसके बाद पटवार हल्का द्वारा खसरा 981 में कब्जा मकान बताकर कानाराम पिसरान पीराजी का खसरा परिवर्तशील वंत 2063 में अतिक्रमण किया जाने पर कब्जा अंकित किया है। तथा बाद में खसरा परिवर्तनशील संवत 2063 के वर्ष 2007–2008 में जानाराम पुत्र जीवाराम घांची का कब्जा दर्ज बतौर मकान किया गया है। जो खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2066 में उक्त खसरा नंबर जानाराम द्वारा अतिक्रमण कर वाड़ा बनाकर कब्जा बताया है तथा वर्ष 2065 में भी खसरा परिवर्तनशील में वाड़ा दर्ज है। प्रथम तो मकान हटाकर वाड़ा बनाकर कब्जा किया जाना सही नहीं है जो मकान बताया गया है वह देवाराम का ही था उसे जानाराम की मिलीभगत से दर्ज किया गया है तथा द्वितीय जनवरी 2005 से लगातार कब्जे नियमन किए जाने का राज्य सरकार का आदेश है जबकि अपीलार्थी का कब्जा प्रथम बार 2006–2007 में दर्ज किया गया जो नियमन किए जाने योग्य नियमानुसार नहीं था। तथा अपीलांट को कृषी भूमी आवंटन नहीं की गई थी जो 4 हैक्टेयर तक भूमी धारित करने वाले को भी पात्र माना गया था। अपीलांट को बाड़ा नियमन रहने के लिए किया गया था। जबकि परिपत्र अनुसार कृषि श्रमिक, कारीगर, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, तथा बीपीएल परिवार के सदस्यों को बाड़ा आवंटित किया जाने का प्रावधान है। जो अपीलाण्ट नही है, तथा उसके पास दो पट्टे अ[illegible]लॉट की भूमी थी इसलिए वह बाड़ा नियमन की पात्रत[illegible]सुमेरपुर ने माना है फिर निरस्त किया है ज[illegible] अपीलांट का कथन गलत है कि तहसीलदार सुमेरपुर नियमन आदेश के पारित करने के बाद उनको इस बाबत अन्य आदेश पारित करने की अधिक[illegible]ा नहीं थी उनको सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराना था।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:31 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 98(2) के तहत तहसीलदार सुमेरपुर को जैर अपील निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार था जो राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1961 के नियम 5 के अनुसार किया जा सकता है अपीलांट की अपील अनुसार मातहत अदालत में अधिवक्ता नियुक्त थे ऐसी स्थिति में न तो अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की आगे तारीख ली गई न उस दिवस को उपस्थित हुए न अपीलांट को सूचित किया तथा अपीलांट को दिनांक 13.11.2017 को आने पर पता चला सभी गलत तथ्य है फिर भी अपील 28.11.2017 को पेश की गई जो म्याद बाहर है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं जैर अपील तहसीलदार सुमेरपुर से तलबी की गई पत्रावली संख्या 07A/2017 का भी अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय तीन बिन्दु निम्नानुसार है–

1. **क्या तहसीलदार सनद खारिज करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है या नही ?**
2. **क्या तहसीलदार द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिया गया या नही ?**
3. **क्या तहसीलदार द्वारा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया अथवा नही ?**

1. अपीलार्थी के हक में बाड़ा नियमन दिनांक 17.04.2013 को जारी कर सनद जारी की गई थी। उक्त बाड़ा नियमन तहसीलदार द्वारा धारा 98(2) के तहत यदि वह व्यक्ति जिसे उप धारा 1 के अधीन भूमि दी गई हो इस धारा के प्रावधानों या उल्लंघन करे तो किसे राजस्व अधिकारी के अधिकारों के अधीन जो तहसीलदार के कम श्रेणी वाला नही होगा पुर्नग्रहित कर ली जायेगी।

   उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी जानाराम राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार कृषि श्रमिक, कारीगर, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा बीपील परिवार का सदस्य नही होने से बाड़ा आवंटन की पात्रता ही नही रखता था। इसलिए तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो आवंटन निरस्त किया गया वह विधिसम्मत था।

   तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी होने से पारित निर्णय न्यायोचित है।

2. उक्त अपील में पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 09.6.2017 की सुनवाई तारिख को न्यायालय में उपस्थित था एवं जवाब हेतु समय चाहने पर दिया गया अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को मातहत अदालत में जवाब पेश किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 23.06.2017 को अपीलार्थी के हक में जारी कच्चे–पक्के मकान एवं बाड़ा के सम्बध में जारी पट्टा बाबत जानकारी ग्राम पंचायत से ली गई उक्त सुचना दिनांक 27.06.2017 को प्राप्त होने पर 13.07.2017 को निर्णय पारित किया गया। इस बीच अपीलार्थी जानाराम जवाब पेश करने के बाद उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी के अधिवक्ता भी उनके साथ पैरवी में शामिल थे। इस प्रकार वकील अपीलार्थी का यह कहना निराधार है कि उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित है।

3. परिपत्र अनुसार सन् 2005 से लगातार अपीलाण्ट का कब्जा नही था, तथा अपीलार्थी का प्रथम बार कब्जा खसरा परिवर्तनशील सवत् 2064 वर्ष 2007–2008 के अनुसार खरीफ गिरदावरी से अंकित है परिपत्र अनुसार सन् 2005 से अतिक्रमित आराजी पर लगातार अपीलाण्ट का कब्जा सिद्ध नही होने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.01.2013 की परिधी में नहीं आता है। अपीलाण्ट कृषि श्रमिक, कारीगर, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जन जाति त[illegible] परिवार का सदस्य नही होने से बाड़ा आवंटन [illegible] अपीलाण्ट के हक में नियमन आदेश [illegible] किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा परिपत्र की पालना में नियमन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जो आवेदन पेश किया जो पु[illegible] से भरा हुआ भी नही है तथा नियमन बाबत अंकित कार्यालय टिप्पणी पर तारिख अंकित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........4

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का आक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी के बाहर रहने के एवं एक तरफा निर्णय के तथ्य स्वीकाते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सबल नही होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उनके न्यायालय की पत्रावली संख्या 07A/2017 बअनवान सरकार बनाम जानाराम में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:31 IST
Reason: SelfAttested